पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

समक्ष:- महिंदर सिंह सुल्लर, ज.

आपराधिक विविध. 2010 का नंबर एम-8227

डी/डी 17.1.2012.

रितु खुराना और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

बृज लाल चोपड़ा -

याचिकाकर्ता के प्रतिवादी:- श्री एडीएस सुखीजा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी के लिए:- सुश्री एकता ठाकुर, अधिवक्ता।

निर्णय

महिंदर सिंह सुल्लर, ज. (मौखिक) - तत्काल याचिका में शामिल और रिकॉर्ड से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए तथ्यों का सारांश, जिसे आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, वह है, पिंकी की शादी, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी बृज लाल चोपड़ा (संक्षिप्तता के लिए "शिकायतकर्ता") की बेटी की शादी 18.07.2008 को पटियाला में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार उदय भल्ला के साथ हुई थी। ऐसा कहा गया है कि शादी में आशा भल्ला (मां), रितु खुराना (याचिकाकर्ता नंबर 1), प्रिया यादव (याचिकाकर्ता नंबर 2), उदय भल्ला (पति) की बहनें दीपाली अरोड़ा और शिमोना पाठक और उनके पतियों को भी शामिल किया गया। दावा किया गया कि शादी के समय उसके पिता ने पर्याप्त नकदी, सोने के आभूषण, कपड़े और दहेज का सामान दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पति और उसके रिश्तेदार दहेज के सामान से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अधिक नकदी और दहेज के अन्य सामान की मांग की और चूंकि, शिकायतकर्ता द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए, उन्होंने उसकी बेटी पिंकी को परेशान करना शुरू कर दिया।

2. शिकायतकर्ता के अनुसार, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं का क्रम बताते हुए, याचिकाकर्ताओं-रितु खुराना, प्रिया यादव और उनके अन्य सह-अभियुक्तों ने दहेज की मांग के संबंध में उनकी बेटी पिंकी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता ने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूटी, चंडीगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। प्रथम दृष्टया और उपरोक्त आरोप के आधार पर, याचिकाकर्ताओं और उनके अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर संख्या 384 दिनांक 10.09.2009 (अनुलग्नक पी -3) के तहत धारा 406 और 498 ए भारतीय दंड संहिता के तहत थाना सेक्टर 39, चंडीगढ़ की पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

3. उसी समय, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं और उनके अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ उन्हीं आरोपों/आधारों पर एक और दूसरी आपराधिक शिकायत (अनुलग्नक पी-4) दर्ज की, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पुलिस याचिकाकर्ताओं-रितु खुराना और प्रिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यादव, उदय भल्ला (पति) की बहनें। दूसरी शिकायत के मद्देनजर, उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 05.02.2010 (अनुलग्नक पी-) के आक्षेपित समन आदेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 406 और 498 ए के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।

4. याचिकाकर्ता-ऋतु खुराना और प्रिया यादव, उदय भल्ला (पति) की पहले से ही विवाहित बहनें संतुष्ट महसूस नहीं कर रही थीं और उन्होंने प्रावधानों को लागू करते हुए विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-4) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-5) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला, संक्षेप में, जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि रितुखुराना (याचिकाकर्ता नंबर 1) की शादी 01.07.2002 को विक्रांत खुराना के साथ हुई थी और तब से, वे पहले दिल्ली में रह रहे थे और अब मुंबई, जबकि प्रिया यादव (याचिकाकर्ता नंबर 2) की शादी 09.12.1998 को पंकज यादव के साथ हुई थी और तब से वह अपने वैवाहिक घर में रह रही है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी बेटी पिंकी से दहेज की मांग को लेकर कथित क्रूरता से उनका कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके खिलाफ पहले एफआईआर (अनुलग्नक पी-3) के आधार पर एक झूठा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने उन्हें निर्दोष पाया था। हालाँकि, उनके भाई और माँ आदि उस संबंध में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अब फिर से शिकायतकर्ता ने उन्हें झूठा फंसाने के लिए मौजूदा शिकायत में भी वही आरोप लगाए हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई अपराध नहीं बनाया गया बताया गया है। उपरोक्त आधारों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने ऊपर बताए गए तरीके से विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-4) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-5) को रद्द करने की मांग की।

6. जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि, सुलह के प्रयास निरर्थक साबित हुए। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया है और शिकायत की सामग्री (अनुलग्नक पी-4) को दोहराया है और तत्काल याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने, उनके मूल्यवान सहयोग से रिकॉर्ड का अध्ययन करने और पूरे मामले पर गहन विचार करने के बाद, मेरी राय में, वर्तमान याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

8. *उदाहरणार्थ,* शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि, इस स्तर पर विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-4) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-5) को रद्द करने का कोई आधार नहीं है, न केवल निराधार है।

9. ***करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2002(1) आरसीआर (आपराधिक) 466 मामले में*** *इस न्यायालय की टिप्पणियों और* ***श्रीमती सरोज सतीजा बनाम राज्य (दिल्ली), 1994(2) अपराध 478,*** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में शायद ही कोई विवाद है। *जिसमें यह देखा गया कि यदि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, तो धारा* 482 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और यदि पर्याप्त सामग्री है, तो आरोपी को दोषी ठहराया गया है। दहेज हत्या के मामले में विशेष रूप से नामित और दहेज की मांग करने वाले पक्ष के रूप में दिखाया गया है, तो उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द नहीं

किया जा सकता है। मेरे लिए, यह वर्तमान विवाद में प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आएगा। यह प्रश्न अब पूर्णांक नहीं रह गया है और अच्छी तरह से सुलझ गया है।

10. ***धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2009(1) आरसीआर (आपराधिक) 677 (एससी)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठा था: ***2009(1) RAJ 405 (SC): 2009(2) SCC 370 मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम स्पेशल*** सहित विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद ***न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1997(4) आरसीआर (आपराधिक) 761 (एससी): 1998(5) एससीसी 749***, ***अशोक चतुर्वेदी बनाम शितुल एच.चनचानी, 1998(3) आरसीआर (आपराधिक) 801 (एससी): 1998(7) एससीसी 698*** और ***केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम रविशंकर श्रीवास्तव, (2006) 7 एससीसी 188*** , यह माना गया कि जब भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपराधिक अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए, वह अन्य की परवाह किए बिना अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा।

11. इस प्रकार, कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड पर सामग्री होने के नाते, अब छोटा और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो इस याचिका में निर्धारण के लिए उठता है, कि क्या याचिकाकर्ताओं [उदे भल्ला (पति) की पहले से ही विवाहित बहनों] पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है या नहीं।

12. पक्षों के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, इस संबंध में उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

13. जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि, याचिकाकर्ता पिंकी(पत्नी) के पति उदय भल्ला की विवाहित बहनें हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का विवाह 01.07.2002 को संपन्न हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 का विवाह उदय भल्ला और पिंकी के विवाह

(18.07.2008 को) से बहुत पहले 09.12.1998 को संपन्न हुआ था। तब से, याचिकाकर्ता अपने पतियों के साथ मुंबई और चंडीगढ़ में अपने-अपने वैवाहिक घरों में रह रही हैं।

14. इतना ही नहीं, यहां जिस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता वह यह है कि वर्तमान शिकायतकर्ता ने पहले भी इन्हीं आरोपों पर याचिकाकर्ताओं सहित मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। जांच के दौरान, पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को निर्दोष पाया और इस आधार पर उनका चालान नहीं किया कि वे अपने-अपने वैवाहिक घरों में रह रहे हैं, जबकि उनके शेष सह-अभियुक्तों के खिलाफ एक अंतिम पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। एक बार, एक पुलिस मामले में दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता के उन्हीं आरोपों पर याचिकाकर्ताओं को निर्दोष पाया गया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ बिना किसी आधार के वर्तमान दूसरी झूठी शिकायत (अनुलग्नक पी-4) दर्ज की है। ताज़ा सामग्री, दुर्भावनापूर्ण, कष्टप्रद और प्रतिशोध लेने के लिए, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

15. सबसे बढ़कर, इस प्रासंगिक संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में न तो एक भी ठोस आरोप है, न ही उनकी कोई विशिष्ट भूमिका बताई गई है कि कैसे, कब और किस तरीके से उन्होंने उदय भल्ला और पिंकी के विवाहित जीवन में हस्तक्षेप किया और उनके खिलाफ कथित अपराध किया। दूसरी शिकायत में (अनुलग्नक पी-4)। इसके अलावा, यह विश्वास करना बेहद असंभव है कि याचिकाकर्ता, जो पिंकी की शादी से बहुत पहले शादीशुदा थे, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करेंगे या शिकायतकर्ता, जो कि 70 वर्ष से अधिक का बूढ़ा व्यक्ति है, से दहेज की वस्तुओं की मांग करेंगे। वर्षों की आयु और सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। अब कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498ए के तहत दंडनीय अपराध के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोप/प्रकट कृत्य और *प्रथम दृष्टया सामग्री होनी चाहिए, ताकि यह दर्शाया जा सके।* कि दहेज का सामान वास्तव में उन्हें सौंपा गया था और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। पति की गलती के लिए, सभी मामलों में, ससुराल वालों या अन्य रिश्तेदारों को दहेज की मांग में शामिल नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में, जहां इस

तरह के आरोप लगाए जाते हैं, पति के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रत्यक्ष कृत्यों को *प्रथम दृष्टया* स्थापित करने की आवश्यकता होती है। केवल अनुमानों और निहितार्थों के आधार पर ऐसे संबंधों को दहेज की मांग से संबंधित अपराध के लिए शामिल नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि, याचिकाकर्ताओं के अपराध और मिलीभगत का गठन करने के लिए बेनक-मार्क और आवश्यक सामग्री का पूरी तरह से अभाव है, इसलिए, मेरे विचार से, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मुकदमे को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

16. यह भले ही अतार्किक लगे, लेकिन सच कहें तो, लड़की के ससुराल वालों के सभी रिश्तेदारों को क्रूरता और दहेज की मांग के मामले में शामिल करने की शिकायतकर्ताओं की प्रवृत्ति और आवृत्ति दिन-ब-दिन जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। दिन-ब-दिन, सामाजिक संरचना और समाज के ताने-बाने को प्रभावित कर रहा है और अनाज को भूसी से अलग करने के लिए अदालतों को अधर में छोड़ रहा है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है. यदि निराश न हों और अधिक से अधिक लोगों के लिए सजा पाने के अपने अति उत्साह और चिंता के मद्देनजर, पत्नियों के माता-पिता अन्य संबंधों को शामिल करने के लिए प्रयास करते हुए पाए गए हैं, तो अंततः, यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर देगा। यहां तक कि इस प्रासंगिक संबंध में वास्तविक दोषियों के खिलाफ भी।

17. ***हरजिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य, 2004(4) आरसीआर (आपराधिक) 332 के*** मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न का निर्णय लिया गया ; ***लाभ सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2006(2) आरसीआर (आपराधिक) 296*** ; ***राकेश कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2009(2) आरसीआर (आपराधिक) 565*** ; ***मोहिंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2010(2) आरसीआर (आपराधिक) 597*** और ***परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, 2011(5) आरसीआर (आपराधिक) 686*** , जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि "रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप पति के दावे अस्पष्ट थे, पति के हर रिश्ते में बढ़-चढ़कर और बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और चीजें अब विपरीत प्रवृत्ति ले रही हैं। महिलाएं भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही हैं ।"

इसलिए, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "सख्त से संवेदनशील" होने के योग्य हैं और वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून "म्यूटैटिस म्यूटंडिस" तथ्यों पर लागू होता है। वर्तमान मामला और मौजूदा समस्या का संपूर्ण उत्तर है।

18. क्रमिक रूप से, यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जड़ को एक साथ जोड़ दिया जाता है और विचार किया जाता है, तो मेरे लिए, निष्कर्ष अपरिहार्य है कि कोई संकेतित अपराध नहीं बनता है और शिकायतकर्ता ने प्रतिशोध लेने के लिए, उनके विरुद्ध, दुर्भावनापूर्ण और परेशान होकर झूठी दूसरी शिकायत दर्ज की है (अनुलग्नक पी-4)। यदि शिकायतकर्ता को अपनी बेटी की विवाहित ननदों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे उनके साथ अन्याय होगा और यह कायम रहेगा। इस तरह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का गहरा दुरुपयोग/दुरूपयोग है। इसी तरह, समन करने वाले मजिस्ट्रेट ने भी मामले के इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-4) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-5) मामले की प्राप्त परिस्थितियों में रद्द किए जाने योग्य हैं।

19. उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर और कुछ टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि शेष अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे के दौरान किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित शिकायत (अनुलग्नक पी-4) और सम्मन आदेश (अनुलग्नक पी-5), केवल वर्तमान याचिकाकर्ताओं के संबंध में और उनसे संबंधित, को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। तदनुसार, उन्हें इस प्रासंगिक संदर्भ में आपराधिक अभियोजन से मुक्त किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा